

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
'द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

दिनांक:-

विषय:-

नगर विकास एवं आवास विभाग में Aadhaar Enable Biometric Attendance System (AEBAS) के क्रियान्वयन हेतु Finger Print Device-Wall Mount-15 अदद की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के पश्चात् BABITA INFRATECH द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान हेतु कुल राशि रु० 4,66,173.00 (चार लाख छियासठ हजार एक सौ तिहत्तर रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में e-Governance मद में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-48 सपठित ज्ञापांक-814, दिनांक-27.01.2026 द्वारा विभाग में Aadhaar Enable Biometric Attendance System (AEBAS) के क्रियान्वयन हेतु Finger Print Device-Wall Mount-15 अदद की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के पश्चात् BABITA INFRATECH द्वारा राशि रु० 4,66,173.00 (चार लाख छियासठ हजार एक सौ तिहत्तर रुपये) मात्र का विपत्र समर्पित किया गया है। उक्त कार्यों के लिए व्यय होने वाली राशि **रु० 4,66,173.00 (चार लाख छियासठ हजार एक सौ तिहत्तर रुपये) मात्र** का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में e-Governance मद में सहायक अनुदान व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि रु० 4,66,173.00 (चार लाख छियासठ हजार एक सौ तिहत्तर रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-227 दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडा के पी०एल० खाता सं०-PBBPLA015, HOA संख्या-00-8448-00-120- 0035-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से ऑनलाईन हस्तांतरित किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। बुडा द्वारा उक्त राशि Consultant Agency Optimize IT System Pvt. Ltd. को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496 दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नम्बर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573 दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार सहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

5. कुल स्वीकृत राशि रु० 4,66,173.00 (चार लाख छियासठ हजार एक सौ तिहत्तर रुपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ, लघु शीर्ष-001, निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0101-ई०-गवर्नेस/नगरीय सुधार कार्यक्रमो एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमो हेतु विपत्र कोड-48-2217050010101, विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-08/न०वि०/e-gov-08/2024 के पृष्ठ ...11A.../टि० पर दिनांक-16.02.26 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृष्ठ ...11B.../टि० पर दिनांक-22.02.26 को प्राप्त है।

8. इसकी सूचना अवर सचिव -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राजपाल के आदेश से।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-08/न० वि०/e-gov-08/2024- 502 /न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक :- 26/02/26

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 03, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में)

सरकार के संयुक्त सचिव।